



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:13209-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 143/2026

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं अन्य अपीलकर्ता

बनाम

संजय कुमार प्रत्यर्थी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: ऋषभ त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: अशोक कुमार यादव

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2019 को निरस्त कर दिया गया था और अपीलकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि वे प्रत्यर्थी को उस पद पर पुनः बहाल करें जिसे वह दिनांक 04.04.2019 का आदेश पारित होने से पूर्व धारण कर रहा था।
2. प्रत्यर्थी के पद के वेतन का 50% हिस्सा दिनांक 04.04.2019 से भुगतान करने के संबंध में आगे के निर्देश दिए गए थे और यदि चार सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो उक्त राशि पर दिनांक 04.04.2019 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से व्याज देय होगा।
3. अपील 56 दिनों से वर्जित है।
4. अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रार्थना पत्र में बताए गए कारणों के आधार पर, इसे स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
6. प्रत्यर्थी को स्वर्गीय नौमी लाल के दत्तक पुत्र होने के नाते दिनांक 16.02.2004 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। स्वर्गीय नौमी लाल प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में चौकीदार के रूप में कार्यरत थे और सेवाकाल के दौरान दिनांक 10.10.1998 को उनकी मृत्यु हो गई थी।
7. प्रत्यर्थी को पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था और पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, आदेश दिनांक 01.06.2004 द्वारा प्रत्यर्थी को प्रदान की गई नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. क्षुब्ध होकर प्रत्यार्थी द्वारा सर्विस सिंगल संख्या 3238/2004 दायर की गई थी, जिसे आदेश दिनांक 31.03.2014 द्वारा खारिज कर दिया गया था।
9. उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 236/2014 दायर की गई थी, जिसमें खंडपीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला था:- "तदनुसार, वह एकमात्र आधार जिस पर अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द की गई है, गुण-दोष के आधार पर विचार की अपेक्षा करता प्रतीत होता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 31.03.2014 द्वारा रिट याचिका को खारिज करते समय अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानूनी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है, जो कि अभिलेख पर प्रतीत होता है। यह उचित होगा कि यह न्यायालय उत्तर प्रदेश संशोधन के प्रभाव के साथ-साथ सिविल न्यायालय के निर्णय और डिक्री के प्रभाव के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करे, जिसके द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है और अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को मृतक सरकारी कर्मचारी स्वर्गीय नौमी लाल के सेवानिवृत्ति के बाद के देय लाभ प्रदान किए गए हैं। एक बार जब सरकार ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया है और उस पर विवाद नहीं करती है तथा अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति देय लाभ प्रदान कर दिए हैं, तो प्रथम दृष्टया सरकार को मृतक आश्रित नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है, केवल इस आधार पर कि गोदनामा पंजीकृत नहीं था। उत्तर प्रदेश संशोधन यह प्रावधान करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी भी अपंजीकृत गोदनामे के बचाव में अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार्य होंगे। उपरोक्त को देखते हुए, हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 31.03.2014 को निरस्त करते हैं और रिट याचिका 3228 (एस/एस)/2004 को उसकी मूल संख्या पर बहाल करते हैं तथा विद्वान एकल न्यायाधीश को अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों के साथ-साथ ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से निर्णय लेने के लिए वापस भेजते हैं। चूंकि पक्षों के बीच शपथ पत्रों का आदान-प्रदान पहले हो चुका है, इसलिए यह उचित होगा कि पिछले 10 वर्षों से इस न्यायालय में लंबित रिट याचिका को उचित नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए और कानून के अनुसार शीघ्रता से नए सिरे से निर्णय लिया जाए।"
10. मामले के रीमांड (वापस भेजे जाने) के अनुसरण में, सर्विस सिंगल संख्या 3238/2004 का पुनः दिनांक 25.08.2014 को निर्णय किया गया, जिसमें निम्नलिखित धारित और निर्देशित किया गया था:- "खंडपीठ ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 पर भी विचार किया है, जो गोद लेने से संबंधित पंजीकृत दस्तावेजों के रूप में उपधारणा के प्रावधान प्रदान करती है और यह धारित किया है कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है जिसके आधार पर विभाग ने सेवानिवृत्ति देय लाभ भी जारी कर दिए हैं, तो यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता का दत्तक ग्रहण वैध है और वह दत्तक पुत्र है। इसलिए, वह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, 1974 के तहत उसे प्राप्त सभी अधिकारों का हकदार है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत करने की शर्त पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए प्रत्यार्थीगण ने उसकी नियुक्ति रद्द कर दी, जबकि मेरी राय यह है कि एक बार जब याचिकाकर्ता को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर सेवानिवृत्ति देय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लाभ प्रदान कर दिए गए हैं, तो अधिकारियों के पास उसे दत्तक पुत्र के रूप में मान्यता न देने का कोई अवसर नहीं है। एक बार जब याचिकाकर्ता को दत्तक पुत्र घोषित कर दिया जाता है, तो वह पुत्र की स्थिति में आ जाता है और पुत्र के रूप में उसे प्राप्त होने वाले सभी लाभ पाने का हकदार हो जाता है। उपरोक्त तथ्य के आलोक में, मेरी राय है कि संबंधित प्राधिकारी सही तथ्य और कानून को समझने में विफल रहा है और उसने आक्षेपित आदेश पारित किया है। चूंकि आक्षेपित आदेश कानूनी त्रुटि से ग्रस्त है, इसलिए इसे एतद्वारा निरस्त किया जाता है। परिणामतः रिट याचिका स्वीकार की जाती है।"

11. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यार्थी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार होने और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 01.06.2004 को निरस्त करने के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने इसे अनदेखा करना चुना।
12. प्रत्यार्थी ने पुनः सर्विस सिंगल संख्या 5187/2019 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दिनांक 22.02.2019 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया:- "याचिकाकर्ता के दावे को दिनांक 01.06.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो रिट याचिका संख्या 3238 (एस/एस)/2004 (संजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में चुनौती का विषय था, जिसमें दिनांक 01.06.2004 के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। भले ही याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार के लिए कोई निर्देश नहीं था, फिर भी एक बार जब इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया था, तो प्रत्यार्थीगण इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित रिट याचिका में दिनांक 25.08.2014 को पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किए गए उसके प्रतिवेदन पर याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। याचिकाकर्ता के दावे पर विचार न करना कानून में न्यायोचित नहीं है। इस न्यायालय ने दिनांक 25.08.2014 के निर्णय और आदेश में याचिकाकर्ता के दत्तक ग्रहण के संबंध में कुछ निष्कर्ष दर्ज किए हैं। उपरोक्त के आलोक में, प्रत्यार्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह रिट याचिका संख्या 3238 (एस/एस)/2004 में दिनांक 25.08.2014 को पारित निर्णय में की गई टिप्पणी के आलोक में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे का परीक्षण करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करें।"
13. ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को खंडपीठ के निर्देशों और उसके बाद एकल पीठ के आदेश दिनांक 25.08.2014 के अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया था, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 04.04.2019 को एक नया आदेश पारित किया और फिर से उसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि पंजीकृत गोदनामे के अभाव में प्रत्यार्थी को प्रदान की गई नियुक्ति वैध नहीं थी। क्षुब्ध होकर एक नई रिट याचिका, रिट-ए संख्या 12480/2019 दायर की गई।
14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने और समय-समय पर पारित आदेशों का संदर्भ देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि एक बार जब इस न्यायालय की खंडपीठ पहले ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की पुष्टि करने वाले पहलू पर न्यायनिर्णयन कर चुकी थी, तो आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से खंडपीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत था

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और परिणामस्वरूप, आदेश को निरस्त कर दिया और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्देश दिए।

15. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का रिट याचिका स्वीकार करना उचित नहीं था। इस तथ्य को दोहराते हुए तर्क दिए गए कि चूंकि गोदनामा अपंजीकृत था, इसलिए प्रत्यार्थी अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकता था और वर्ष 2004 में अपंजीकृत गोदनामे के आधार पर जो नियुक्ति प्रदान की गई थी, उसे दिनांक 01.06.2004 को सही ढंग से रद्द किया गया था।
16. दत्तक ग्रहण के तथ्य पर ही सवाल उठाने के प्रयास किए गए और यह तर्क दिया गया कि दत्तक ग्रहण के समय प्रत्यार्थी की आयु के कारण यह हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत था।
17. प्रत्यार्थी के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।
18. हमने किए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
19. घटनाओं का पूरा क्रम, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं के पूरी तरह से मनमाने आचरण को दर्शाता है जिन्होंने न केवल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनदेखी की बल्कि ऐसे आदेश भी पारित किए जो प्रत्यक्ष रूप से खंडपीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत हैं।
20. जैसा कि देखा जाएगा, खंडपीठ ने दिनांक 05.05.2014 के अपने आदेश में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1872') में राज्य संशोधन को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला था कि एक बार जब श्री नौमी लाल की मृत्यु के बाद अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया गया था और उस पर विवाद नहीं किया गया था तथा प्रत्यार्थी को सेवानिवृत्ति देय लाभों का भुगतान कर दिया गया था, तो सरकार को उ.प्र. सरकारी सेवक मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, 1974 के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से केवल इस आधार पर इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था कि गोदनामा पंजीकृत नहीं था। खंडपीठ ने परंतुक पर विचार किया और पाया कि उ.प्र. संशोधन यह प्रावधान करता है कि अधिनियम, 1872 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य एक अपंजीकृत गोदनामे के बचाव के लिए स्वीकार्य होंगे। उक्त टिप्पणियों के आधार पर, मामला रिमांड किए जाने पर, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 25.08.2014 के अपने आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित प्राधिकारी सही तथ्यों और कानून को समझने में विफल रहा था और उसने आक्षेपित आदेश पारित किया था जो कानूनी त्रुटि से ग्रस्त है और उसे निरस्त कर दिया था तथा रिट याचिका स्वीकार कर ली गई थी।
21. आदेश दिनांक 25.08.2014 को अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और वह अंतिम हो गया। एक बार जब दिनांक 01.06.2004 का आदेश निरस्त हो गया और उसे चुनौती नहीं दी गई, तो मामला वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था और प्रत्यार्थी को अपीलकर्ताओं द्वारा तुरंत बहाल किया जाना चाहिए था। हालाँकि, उन्होंने अवमाननापूर्ण तरीके से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 25.08.2014 को पारित आदेश की अनदेखी करना चुना और स्पष्ट रूप से प्रत्यार्थी को इसके अनुपालन के लिए दर-दर भटकने पर मजबूर किया गया और अंततः उसने एक नई रिट याचिका सर्विस सिंगल संख्या 5187/2019 दायर की, जिसमें पुनः विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं से खंडपीठ और एकल पीठ के आदेशों का पालन करने की अपेक्षा की। हालाँकि,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पूरी तरह से मनमाने ढंग से, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आक्षेपित दिनांक 04.04.2019 का आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रत्यार्थी के दावे को खारिज कर दिया गया।

22. एक बार जब खंडपीठ के निर्देश बहुत स्पष्ट और विशिष्ट थे और जिनके आधार पर रिट याचिका स्वीकार की गई थी तथा उस आदेश पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था, तो अपीलकर्ता उक्त निर्देशों का पालन करने और प्रत्यार्थी को बहाल करने के लिए बाध्य थे। दिनांक 04.04.2019 का आदेश पारित करना प्रत्यक्ष रूप से गलत है, खंडपीठ के निर्णय के विपरीत है और वास्तव में, वर्ष 2014 में ही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पूरी तरह से अवमानना है। केवल इसलिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 22.02.2019 के अपने आदेश में अपीलकर्ताओं से उचित आदेश पारित करने की अपेक्षा की थी, उसका अर्थ अनिवार्य रूप से निर्देशों का पालन करना था न कि उस निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचना जो इस न्यायालय की खंडपीठ और एकल न्यायाधीश द्वारा पहले ही आदेशित किया जा चुका था।
23. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं के आचरण को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया और उनकी अनदेखी भी की है तथा ऐसे आदेश पारित करना चुना है जो इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों के विपरीत हैं, जिसके लिए प्रत्यार्थी का अब 20 वर्षों से अधिक समय से दर-दर भटकने पर मजबूर किया गया है, जिसके लिए इस आचरण पर उचित लागत (कॉस्ट) लगाई जानी आवश्यक है।
24. मामले के उस दृष्टिकोण में, दिनांक 04.04.2019 के आदेश को निरस्त करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों में किसी भी आधार पर कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती।
25. हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस धारणा पर दिनांक 04.04.2019 से राहत सीमित कर दी है कि 04.04.2019 को प्रत्यार्थी की सेवाएँ फिर से समाप्त कर दी गई हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 01.06.2004 से ही प्रत्यार्थी रोजगार से बाहर है।
26. इसके परिणामस्वरूप, अपील 50,000/- रुपये की लागत (कॉस्ट) के साथ खारिज की जाती है, जिसे इस न्यायालय की लखनऊ स्थित कानूनी सेवा समिति (Legal Services Committee) में जमा किया जाएगा।
27. अपीलकर्ताओं को विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है और आक्षेपित आदेश दिनांक 10.11.2025 में, जहाँ दिनांक 04.04.2019 से वेतन के 50% भुगतान के निर्देश दिए गए हैं, सी.पी.सी. के आदेश XLI नियम 33 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसे संशोधित किया जाता है और प्रत्यार्थी दिनांक 01.06.2004 से उक्त 50% वेतन पाने का हकदार होगा।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

राकेश/संदीप

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"